राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ.18(17)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2013/ दिनांक :

—: परिपत्र :—

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की कियान्विति में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं परियोजना की कियान्विति में पारदर्शिता हेतु राज्य सरकार द्वारा परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन के सम्बन्ध में आदेश कमांक 5354–5811 दिनांक 22.03.2011 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे, जिसके अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन ग्रामसभा, पंचायत समिति की स्थायी समिति (उत्पादन) एवं जिला परिषद की स्थायी समिति (विकास एवं उत्पादन) से करवाने का प्रावधान किया गया था।

भारत सरकार द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. की प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिये गये है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अनुमोदन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जावें।

अतः आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों के अतिकमण में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

1. परियोजना कियान्वयन एजेन्सी उप समिति (जलग्रहण) एवं जलग्रहण विकास दल की सकिय भागीदारी से समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 यथा संशोधित 2011 के अनुच्छेद 51–55 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उच्च गुणवत्ता की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेगी।

2. परियोजना कियान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर को प्रेषित किया जायेगा। परियोजना प्रबन्धक द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के तकनीकी रूप से परीक्षण उपरान्त सही पाये जाने पर विभागीय आदेश कमांक 75–115 दिनांक 01.03.2012 के माध्यम से गठित तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष पूर्व निर्धारित प्रकिया के अनुसार परीक्षण हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

3. तकनीकी सलाहकार समिति के स्तर से अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन परियोजना कियान्वयन एजेन्सी द्वारा परियोजना की सभी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में सरपंच की अध्यक्षता में आयोजित ग्रामसभा में करवाया जायेगा।

4. परियोजना प्रबन्धक द्वारा ग्रामसभा के अनुमोदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन परियोजना प्रबन्धक निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे, जो कि अनुमोदन हेतु एस.एल.एन.ए. के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

5. एस.एल.एन.ए. के अनुमोदन के उपरान्त कार्य चरण के कार्य सम्पादित किये जा सकेंगे।

उक्त निर्देश अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्तर से अनुमोदित है।

27.6.13
(एम.एस.काला)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक

क्रमांक : एफ.18(17)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2013/9142-9957 दिनांक 28/6/13

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (समस्त जिले)
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त जिले)
9. उपनिदेशक (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त जिले) को भेजकर लेख है कि आपके अधीन समस्त पी.आई.ए. को इस परिपत्र की छाया प्रति उपलब्ध करवाकर निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करावें।
11. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।

27.6.13
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक